उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

निकट चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, डाण्डा लखौण्ड, पो0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून, 248013

Mail ID: ukmssbdun@gmail.com; Website: www.ukmssb.org, Phone: 0135-2608566(O)

पत्रांकः उ0ख0चि0से0च0बोर्ड / परी0(प्रो० / एसो०प्रो० / अ०प्रो०) / 80 / 2019–20 / 464 दिनांकः 30 सितम्बर, 2020

उत्तराखण्ड राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर (मेडिकल फिजिसिस्ट) पद के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों की निस्तारण सूची

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन संख्या 42 / 2020 दिनांक 06 मई, 2020 प्रकाशित किया गया था। बोर्ड द्वारा असिस्टेन्ट प्रोफेसर (मेडिकल फिजीसिस्ट) के पद पर ऑनलाईन आवेदन करने वाले कतिपय अभ्यर्थियों को बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 अगस्त, 2020 द्वारा पूर्व में औपबन्धिक रूप से अर्ह घोषित किया गया था। बोर्ड द्वारा असिस्टेन्ट प्रोफेसर (मेडिकल फिजीसिस्ट) के पद ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 08 जून, 2020 तक जारी एम०सी०आई० टी०ई०क्यू० का पुनः अध्ययन करने पर कार्यालय पत्रांक संख्या उ0ख0चि0से0च0बोर्ड / परी0 (प्रो० / एसो०प्रो० / अ०प्रो०) / 80 / 2019–20 / 438 दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के द्वारा असिस्टेन्ट प्रोफेसर (मेडिकल फिजीसिस्ट) के पद पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं धारित न करने के कारण कतिपय अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित करते हुए, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 तक अपनी अनर्हता के सापेक्ष पुष्ट साक्ष्य / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी।

02– उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्रत्यावेदनों के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों / अभिलेख बोर्ड द्वारा सम्यक् विचार किया गया। विचारोपरान्त उक्त अभ्यर्थियों द्वारा अपने प्रत्यावेदनों के साथ प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों / अभिलेखों के पुष्ट न होने के आधार पर, बोर्ड द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया हैः–

क्र. स.	विषय	रजिस्ट्रेशन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण	बोर्ड का निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	Medical Physicist	UKMSSB10042	CHHAPE RAM	Not Eligible (Not having Ph.D. qualification as per MCI-TEQ Norms)	कार्यालय पत्रांक उ०चि०से० च०बोर्ड० / परी० (प्रो० / एसो०प्रो० / अ०प्रो०) 80 / 2019–20 / 438 दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ जो एम०सी०आई० टी०ई०क्यू० 08 जून, 2017 की प्रति संलग्न की गई है, उसमें सम्बन्धित पद हेतु अन्य शैक्षिक अर्हताओं के साथ पी०एच०डी अर्हता का भी उल्लेख किया गया है जोकि ऑनलाईन आवेदन पत्र के अनुसार आप द्वारा धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त एम०सी० आई० की अधिसूचना दिनांक 15 जून, 2020 की प्रति भी संलग्न की गई है, जोकि ऑनलाईन आवेदन

क्र. स.	विषय	रजिस्ट्रेशन संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण	बोर्ड का निर्णय
1	2	3	4	5	6
					करने की अन्तिम तिथि 08 जून, 2020 के बाद का है। अतः प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 29 सितम्बर, 2020 तक पुष्ट साक्ष्य／अभिलेख बोर्ड कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए आपको प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।
2	Medical Physicist	UKMSSB10145	RAVI KANT	Not Eligible (Not having Ph.D. qualification as per MCI-TEQ Norms)	कार्यालय पत्रांक उ०चि०से०च०बोर्ड०／परी० (प्रो०／एसो० प्रो०／ अ०प्रो०)／80／2019– 20／438 दिनांक 23 सितम्बर, 2020 के द्वारा जारी अनर्ह सूची के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा प्रत्यावेदन के साथ जो एम०सी०आई० की अधिसूचना दिनांक 15 जून, 2020 संलग्न की गई है, वह ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 08 जून, 2020 के बाद का है। अतः प्रत्यावेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 29 सितम्बर, 2020 तक पुष्ट साक्ष्य／अभिलेख बोर्ड कार्यालय को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए आपको प्रश्नगत पद हेतु अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित किया जाता है।

Sd/-
(गरिमा रौंकली),
सचिव।